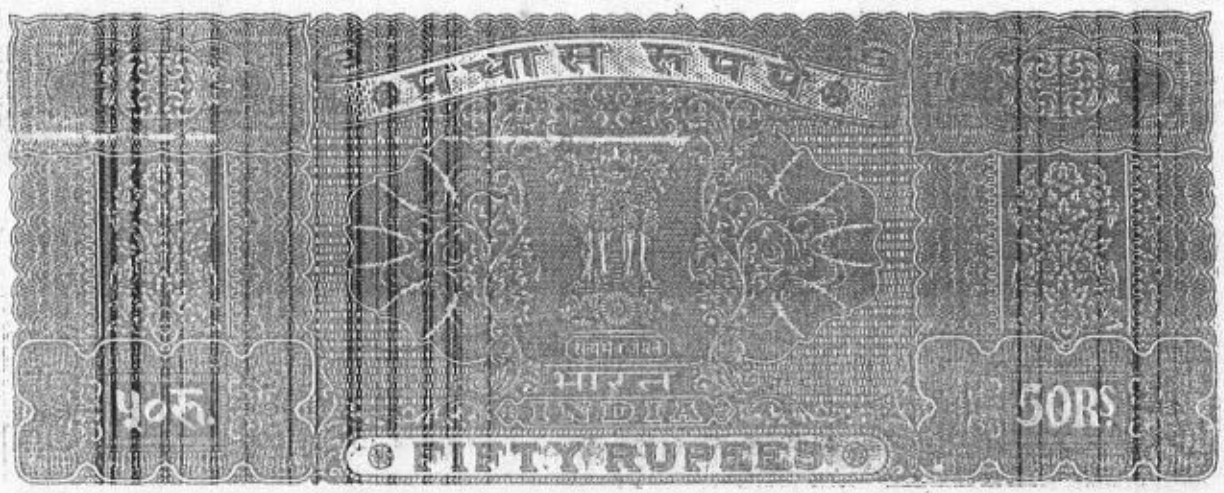
50 Rs.



साझेदारीनामा पत्र

यह साझेदारीनामा पत्र आज दिनांक 06 नवम्बर सन 2004 ई० को हमलोगा §1§ ओम प्रकाश सिंह पिता श्री हरीहर सिंह, निवासी ए-36 अशोकपुरी कॉलोनी, थाना- शास्त्रीनगर, जिला पटना, भारतीय नागरिक ——————————————————प्रथम पक्ष

एवं

§2§ श्री जय नारायण सिन्हा पिता स्वर्गीय राम प्रताप सिंह, निवासी 206 अम्बाजी पैलेस शोभपुरा, पटना-800014, पो०- बी० मी० कॉलेज, थाना- शास्त्रीनगर, जिला पटना ——————————— द्वितीय पक्ष ।

के बीच निम्नलिखित शर्तों पर किया जाता है :-

1- यह कि साझेदार इस साझा व्यापार का शुभारम्भ मेसर्स ओम नारायण कन्स्ट्रक्सन के नाम से करेंगें जिसका सदर दफ्तर जो-2 अम्बाजी पैलेस, शोभपुरा, पटना-800014, में होगा या उक्त साझेदार अपनी आपसी सहमती से किसी और जगह पर दफ्तर कायम करेंगें ।

2- यह कि उक्त साझेदार साझेदारी में बहुमंजली इमारत बनाने एवं अन्य कार्यों का संचालन आपस में मिलकर करेंगें ।

NOTARY ARUN KUMAR PATNA BIHAR GOVT. OF BIHAR



बस्ता तारीख 6.11.2004

किस्त

नाम

पिता/पति

बस्ता

पेशकार

सिविल

कलक्ट्रेट, पटना

अनुबाद्धि सं०-56/98

, Notary Public Patna (Bihar) India

Hereby authenti... document

Under Sec... of Majesty (Life) of

under Rule... the basis of

identificat... by

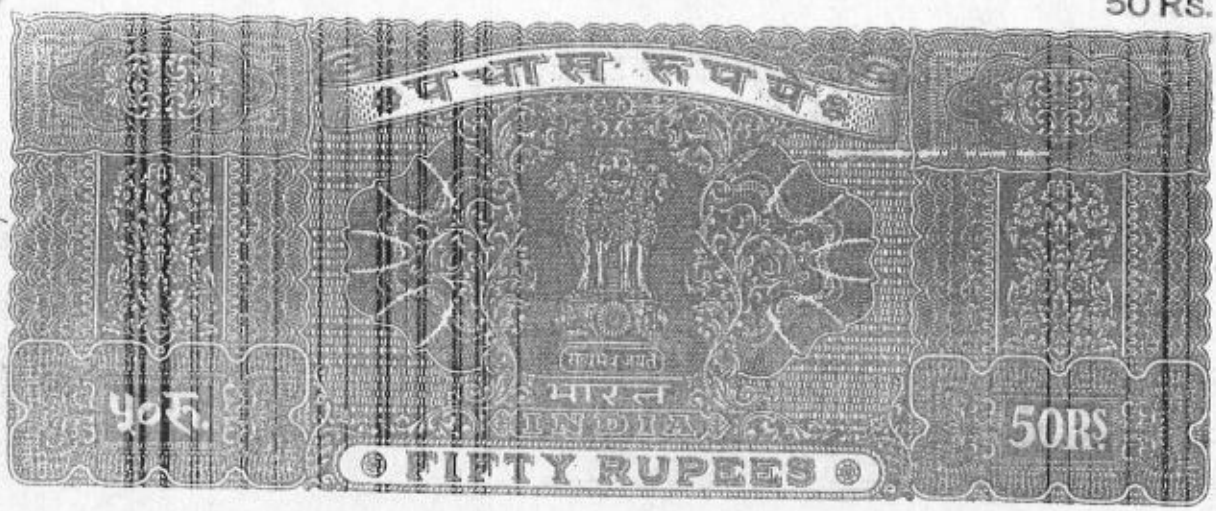
..... Advocate

Date Day Month Year

ARUN KUMAR
NOTARY PUBLIC, PATNA



50 Rs.



3- यह कि साझेदार उक्त कार्य को करने हेतु निम्नलिखित अनुपात में पूंजी लगायेंगें :-

(1) ओम प्रकाश सिंह - प्रथम पक्ष ————50 प्रतिशत
(2) श्री जय नारायण सिन्हा-द्वितीय पक्ष ——50 प्रतिशत

4- यह कि उक्त व्यवसाय में जो नफा एवं घटा (आय एवं व्यय) होगा उसको सभी साझेदार उपरोक्त वर्णित प्रतिशत के अनुसार सहन करेंगें ।

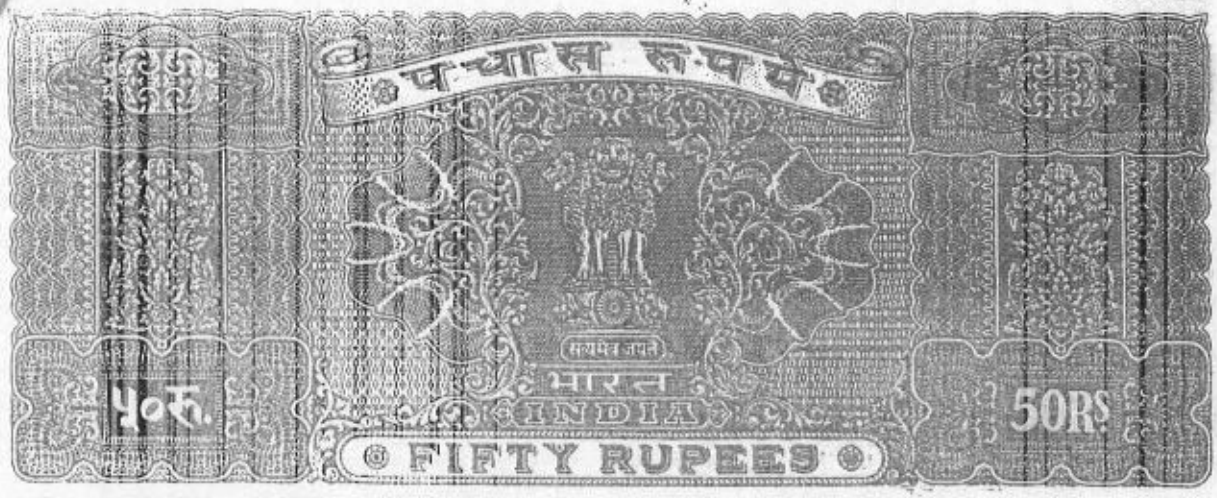
5- यह कि उक्त साझेदार द्वारा लगाये गये पूंजी के अलावे अगर ज्यादा रकम की आवश्यकता आ पड़ती है वैसी सुरत में सभी साझेदार उपर वर्णित प्रतिशत के हिसाब से पूंजी का वहन करेंगें ।

6- यह कि प्रथमपक्ष एवं द्वितीय पक्ष (सामिलात) उक्त फर्म में पृथक्क साझेदार होंगें ।

7- यह कि उक्त फर्म के नाम से किसी भी बैक या संस्थान में खाता रहेगा तथा उसका संचान उक्त साझेदार के हस्ताक्षर से सामिलात होगा ।

यह कि साझेदार उक्त फर्म के नाम पर किसी भी सरकारी या गैर सरकारी, वित्तीय संस्थान या पब्लिक बैंक से ऋण लेते है वैसे सुरत में लिये गये ऋण को अदायगी सभी साझेदार आपस में मिलकर अपने अपने हिस्से के अनुपात में करेंगें ।

50 Rs.



9- यह कि साझेदार उक्त फर्म का लेखा- जोखा आपस में मिल बैठकर वर्ष के 31 मार्च के अन्दर किया करेंगें तथा उसके आय एवं व्यय में अपने-अपने हिस्से के अनुपात में भागीदार होंगें ।

10- यह कि उक्त फर्म में किसी भी व्यक्ति को नियुक्ति कार्य हेतु करने की आवश्यकता होती है तो वैसे सूरत में दोनो साझेदार के परामर्श से उन व्यक्तियों को नियुक्ति होगी और उन व्यक्तियों का वेतन निर्धारण दोनो साझेदार आपस में मिलकर करेंगें ।

11- यह कि उक्त साझेदार में से किसी भी पक्ष को मृत्यु हो जाती है तो मृतक के उत्तराधिकारी उक्त फर्म में साझेदार होंगें और जो शर्तें मृतक पर लागु था वहीं शर्त उनके उत्तराधिकारी पर लागु होगा ।

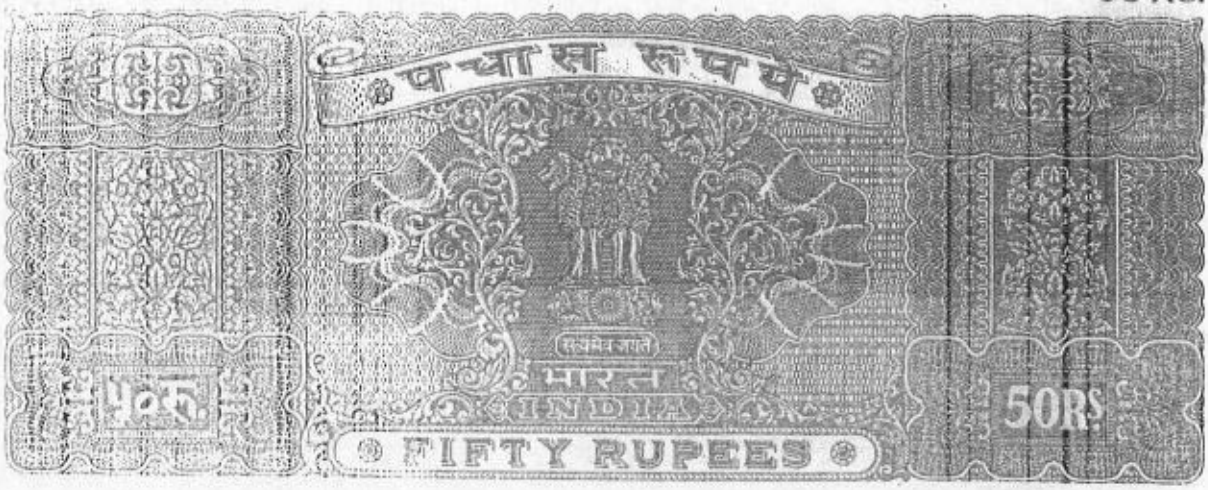
12- यह कि उक्त फर्म के संचालन हेतु किसी अन्य साझेदार की आवश्यकता होती है वैसी सूरत में अन्य साझेदार को नियुक्ति सभी साझेदार आपस में मिलकर करेंगें ।

13- यह कि उक्त साझेदार में से कोई भी पक्ष इस साझेदारीनामा फर्म से हटना चाहेंगें तो उन्हे दो माह पूर्व लिखित सूचना अपने दूसरे साझेदार को देना होगा ।

14- यह कि उक्त साझेदार में से कोई भी पक्ष किसी कारण वश पटना से बाहर चले जाते है वैसी सुरत में फर्म का संचालन दुसरा पक्ष करेगा जिसके एवज में किसी तरह का कोई प्रतिफल देय नहीं होगा।

NOTARY
ARUN KUMAR
PATNA, BIHAR
INDIA

50 Rs.



14.

15- यह कि बहुमंजिली इमारत बनाने के सभी कार्य में दोनो पक्षों की सहमति रहेगी ।

16- यह कि उक्त इमारत बनाने में जो भी समान की खरीदारी दोनो पक्ष आपस में मिलकर करेंगें ।

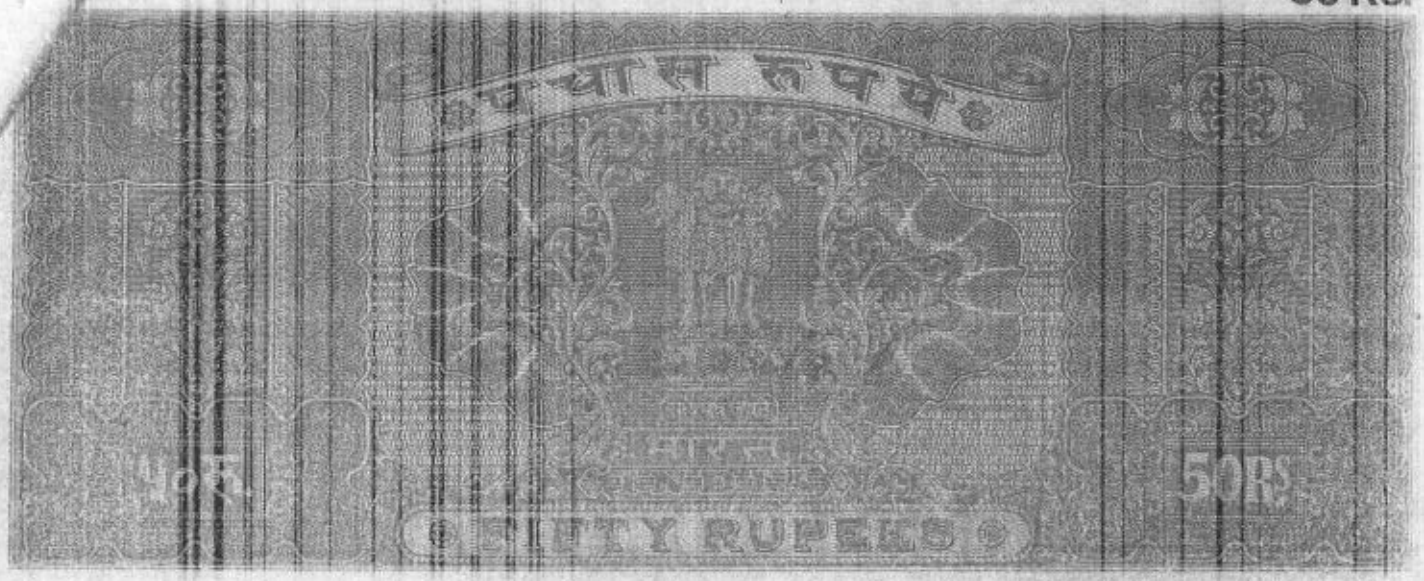
17- यह कि उक्त फर्म का कार्य क्षेत्र पूरा भारत में रहेगा ।

18- यह कि किसी तरह का विवाद दोनो पक्ष में होती है तो वे आपसी सहमति से पंच नियुक्त कर विवाद का निपटारा किया जायेगा साथ आरबीत्र भी अगर विवाद नहीं सुलझाते है तो वैसे सुरत में इसका कार्य क्षेत्र अररिया से संबंधित न्यायालय में होगा ।

19- यह कि इस साझेदारी नामा पत्र में जो बातें अंकित नहीं है उसके लिए भारतीय साझेदारीनामा अधिनियम 1932 इस साझेदारीनामा पत्र के लिए मान्य रहेगा ।

20- यह कि उक्त भारतीय साझेदारीनामा अधिनियममें जो भी संशोधन होगी उसे दोनो पक्ष को मान्य रहेगा वो होगा ।

50 Rs.



5.

इस वास्ते दोनो साझेदार आपस में मिलकर अपने-अपने मानसिक स्वस्थ अवस्था में होकर वो रहकर दो गवाहान के समक्ष इस साझेदारीनामा पत्र को दिनांक 6.11.2004 ई० को लिख दिया तथा अपना अपना हस्ताक्षर बना दिया कि समय पर काम आवे वो प्रमाण रहे।

गवाहगण का हस्ताक्षर

1. [illegible]
Advocate
4291-98

2.

साझेदार का हस्ताक्षर

1. [illegible]
6.11.04

2. [illegible]
6/11/2004

NOTARY
ARUN KUMAR
PATNA BIHAR
INDIA

I identify the deponent
Signature / L T I who has
have affixed in my presence

6/11/04



858816

बिहार BIHAR

साझेदारीनामा एग्रीमेन्ट

यह साझेदारीनामा एग्रीमेन्ट आज दिनांक 05 नवम्बर सन 2005 ई० को हमलोग (1) ओम प्रकाश सिंह पिता श्री हरीहर सिंह, निवासी ए-36 अशोकपुरी कॉलोनी, थाना- शास्त्रीनगर, जिला-पटना, भारतीय नागरिक ---------- प्रथम पक्ष ।

(2) श्री जय नारायण सिन्हा पिता स्वर्गीय राम प्रताप सिंह, निवासी 206 अम्बाजी पैलेस शेखपुरा, पटना-800014, पोस्ट बी०भी० कॉलेज, थाना- शास्त्रीनगर, जिला पटना ---------- द्वितीय पक्ष।

एवं---

(3) श्री बिरेन्द्र कुंमार पिता स्वर्गीय रामदहिन सिंह, निवासी ग्राम अरलीचक, जगदेवपथ, पोस्ट बी०भी० कॉलेज, थाना- गर्दनीबाग, जिला-पटना (बिहार) ---------- तृतीय पक्ष ।

के बीच किया जाता है -

यह कि प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष मिलकर पूर्व से ही मेसर्स ओम

नं० ... ता० ... किमत ... बाँड ... 5022/100

खरीददार का नाम ...

पता ...

रमेश प्रसाद, मुद्रांक विक्रेता
कलक्ट्रेट कोर्ट पटना, ला० नं०-11/77

I, Satyendar Pd., Notary Public, Patna (I ...) do hereby authenticate this deed document of executed by Sri DM Prakash ... in favour of ... U/S 3 of Notaries Act 1952 (LIII) of under Rule 8 of Notaries Rules 1956 on the basis of Identification / Verification & checked by Sri A.K. Sen ... Advocate, This ... Day 5th Month ... Year ... Total three

Satyendar Prasad
NOTARY, PATNA

SATYENDAR PRASAD
NOTARY
PATNA, BIHAR (INDIA)



बिहार BIHAR

858817

2.

नारायण कन्सट्रक्सन के नाम पर अपना व्यवसाय करते चले आ रहे है जिसके निष्वत प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष ने एक साझेदारीनामा आपस में दिनांक 6.11.2004 ई० को किये है और उक्त फर्म का सदर दफ्तर जी-2 अम्बाजी पैलेस शेखपुरा, पटना-800014 में स्थित है या आपसी सहमति से किसी और जगह दफ्तर कायम करेगें ।

यह कि प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष ने आपसी राय एवं सहमति के आधार पर यह निर्णय लिया है कि उक्त फर्म में एक तीसरे साझेदार की नियुक्ति किया जाय ताकि फर्म के कार्यो का संचालन में किसी तरह का व्यवधान या रूकावट न हो इसलिए दोनो पक्षों ने तृतीय पक्ष श्री बिरेन्द्र कुमार को उक्त फर्म का नया साझेदार नियुक्त करते है जिनका अनुपातिक राशि 25 प्रतिशत होगी और प्रथम-पक्ष का 37-1/2 प्रतिशत तथा द्वितीय पक्ष का 37-1/2 प्रतिशत हिस्सेदारी होगी ।

यह कि प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष के बीच में की गई पूर्व साझेदारी नामा पत्र में वर्णित सभी शर्ते नये साझेदारी श्री बिरेन्द्र कुमार पर भी लागु रहेगा और सभी शर्तो को तृतीय पक्ष उक्त फर्म के नियमानुसार पालन करेगें ।

SATYENDAR PRASAD NOTARY PATNA BIHAR

यह कि अगर तृतीय पक्ष उक्त फर्म से अपना साझेदारी समाप्त करना चाहेंगे तो वैसे सुरत में दो माह पूर्व सूचना अपने अन्य साझेदार को देंगे और सूचना प्राप्ति उपरान्त सभी पक्ष मिल बैठकर सारा हिसाब किताब कर जो भी राशि तृतीय पक्ष का होगा उसे वापस कर साझेदारी समाप्त कर देंगे ।

यह कि अगर कोई भी पक्ष की अचानक मृत्यु हो जाती है तो वैसी सुरत में उनके उत्तराधिकारी, उक्त फर्म के साझेदार नियुक्त किये जायेंगे और जो शर्त मृतक के उपर लागु था वही शर्त मृतक के उत्तराधिकारी पर लागु रहेगा ।

इस वास्ते तीनो साझेदार- आपस मे मिलकर अपने अपने मानसिक स्वस्थावस्था में होकर वो रहकर दो गवाहान के समक्ष यह साझेदारीनामा एग्रीमेन्ट पूर्व मे की गई साझेदारीनामा पत्र दिनांक 6.11.2004 के संबंध में लिख दिया कि समय पर काम आवे वो प्रमाण रहे ।

गवाहगण का हस्ताक्षर-

1.

साझेदारगण का हस्ताक्षर

1. 5.11.05

2.

2. 5/11/05

3. 5/11/05

SATYENDAR PRASAD NOTARY PATNA, BIHAR

I, identify the document's Signature / L. I. who has/ have affixed in my presence.

Advocate 5/11/2005